बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दो वर्ष पूर्व जब हमने शासन की बागडोर संभाली थी, तब हमें विरासत में मिली थी–उखड़ी सड़कें, फूटी नहरें, बिखरे हुये बिजली के तार, अंधियारे गॉव, खण्डहर शाला भवन, बिन दवा के अस्पताल, निराश कर्मचारी और दु:खी जनता। और उस पर था खाली खजाना, थोथी घोषणाएं, अस्त–व्यस्त अर्थतंत्र एवं बेलगाम वित्त–प्रबंध। भविष्य डरावना एवं चुनौती भरा था। किन्तु हम विचलित नहीं हुए। क्योंकि ह्दय आत्म–विश्वास से लबरेज था और पगों में थी तूफानों की गति। हम अनुप्राणित थे अटलजी की निम्न पंक्तियों से–

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता।
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता ।।
आदमी को चाहिए कि वह जूझे,
परिस्थितियों से लड़े,
एक स्वपन टूटे, तो दूसरा गढ़े।

2. दस वर्ष के एकछत्र राज की तुलना में दो वर्ष की अवधि नि:संदेह बहुत छोटी है। फिर भी इस अल्प अवधि की उपलब्धियों से जनमानस में आशा की किरण अवश्य प्रस्फुटित हुई है–अंधेरा छॅट रहा है। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व अवश्य है किंतु घमंड कतई नहीं क्योंकि हम जानते है कि अभी तो यह ॲगड़ाई है आगे और बहुत कुछ करना बाकी है जिसे करने में सबका सहयोग प्रार्थनीय है। पूर्व के दस वर्षों के सत्ताधीश यह कहकर अपना मन छोटा न करें कि हम तो योजनाएं ही बनाते रह गये। विकास की यात्रा में हम सब एकजुट रहे।

" तुम्हारी ऑख में ऑसू , हमारे घर में शहनाई
हमारे दिल में ऐसी दुश्मनी पाली नहीं जाती "

3. पुरानी सरकार से हमें रिक्त राजकोष के साथ लम्बित घोषणायें विरासत में मिलीं थीं। पुरानी सरकार द्वारा छोड़े गये अनेक दायित्वों को हमने पूरा किया है। किसानों की बिजली माफी के लिये मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को रूपये 1783 करोड़ का भुगतान किया है। विद्युत मंडल द्वारा पूर्व में जारी बॉन्ड्स को चुकाने के लिये रूपये 753 करोड़ की वित्तीय सहायता

उपलब्ध कराई है। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया बॉन्ड्स की रूपये 133 करोड़ की प्रथम किश्त का वर्ष 2005–06 में भुगतान किया है। तिलहन संघ की रूपये 236.51 करोड़ की बैंकों के प्रति देयताओं को सरकार ने अपने ऊपर लेकर अब तक रूपये 60.26 करोड का भुगतान किया है। संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत आदिवासियों के तीन वर्षों के बकाया लाभांश रूपये 29 करोड़ का प्रावधान किया है। अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को देय बकाया छात्रवृत्ति रूपये 35 करोड़, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार की अतिरिक्त अंशपूंजी रूपये 17 करोड़ तथा पूर्व वर्षों के लिये देय बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान रूपये 400 करोड़ किया है।

4. बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार के द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा लागू की गई है। हमें ऋण समेकन एवं ब्याज राहत सुविधा के अंतर्गत रूपये 287 करोड़ ब्याज राहत सुविधा प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2005–06 में वापिस किये जाने वाले ऋण की किश्त रूपये 363.00 करोड़ के राईट ऑफ के लिये राज्य पात्र हो चुका है। लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक हमें यह लाभ नहीं दिया है। इस संबंध में हमने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को लिखा है। राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को नियंत्रित रखने से राज्य आगामी वर्षों में भी ऋण किश्तों की राइट आफ की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 की अवधि में कुल ऋण राशि रूपये 1815 करोड़ का राइट आफ मिल सकेगा। आप अवगत हैं कि गत वर्ष हमें 11 वें वित्त आयोग के अवार्ड के अंतर्गत उपलब्ध राजकोषीय सुधार सुविधा के तहत हमें रूपये 260.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई थी। इस बार भी ऋण समेकन एवं ब्याज राहत सुविधा के अंतर्गत हमें पूरी सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।

5. विकास की चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बहाली के साथ ही पूर्व शासन की घोषणाओं तथा अन्य लम्बित देयताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी हमने ली और ऐसा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता स्थापित की है। इन सभी के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद 16 वर्ष में पहली बार इन दो वर्षों में ओवरड्राफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इतना ही नहीं 32 वर्ष के अंतराल के बाद हमने वर्ष 2005–06 में एक भी दिन अर्थोपाय अग्रिम सुविधा नहीं ली है। यह हमारे दिन–प्रतिदिन के बेहतर राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है। हमने राजकोषीय घाटे में भी कमी लायी है

जो राजकोषीय नीति की विश्वसनीयता का परिचायक है। भविष्य में भी विकास योजनाओं के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते रहें, इस उद्देश्य से हमने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया है। इस अधिनियम व्दारा अपेक्षित है कि राज्य सरकार वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटे को पूरी तरह समाप्त करे तथा राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर ले आए।

6. पूंजीनिवेश आकर्षित करने हेतु, हमें अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में अधोसंरचना की कमी को शीघ्र ही दूर करना आवश्यक है। इस कमी को दूर करने के लिये पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि आवश्यक है। यह हमारे लिये एक बड़ी चुनौती है कि हम प्रदेश में अधोसंरचना की कमी को शीघ्र दूर करते हुये वर्ष 2008–09 तक राजकोषीय घाटे को सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करें। अतः हमें आयोजनेत्तर चालू खर्चों में वृद्धि को अभी भी नियंत्रित रखना होगा जिससे हम राजस्व आधिक्य निर्मित कर सकें और उसका उपयोग अधोसंरचना विकास के लिये कर सकें।

7. मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2006–07 के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं मांगों के साथ वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति युक्ति विवरण एवं प्रकटन विवरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इन विवरणों से प्रदेश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति पर विस्तृत विश्लेषण जन सामान्य को प्राप्त होगा जिससे वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित पारदर्शिता आयेगी। बजट अनुमान की तुलना में हर 6 माह की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्ययों के रूख की समीक्षा की जाकर निष्कर्ष विधान सभा के समक्ष मेरे द्वारा यथासमय प्रस्तुत किया जायेगा। इससे कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा एवं हमारे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी।

8. मध्य प्रदेश का वर्ष 2005–06 का आर्थिक सर्वेक्षण, हमने बजट प्रस्तुति के एक दिन पूर्व माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया है। आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इससे बजट प्रस्तावों पर चर्चा अधिक तथ्यपरक होगी। बजट साहित्य को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से इस बार अतिरिक्त जानकारी भी दी जा रही है।

9. अधोसंरचना के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी प्राप्त करने के लिये सरकार प्रयासरत है। सड़क परियोजनाओं में शासकीय

अनुदान के अंश पर निर्भरता कम करने के लिये पथकर वसूली की अवधि 15 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करना प्रस्तावित है। इससे शासकीय अनुदान के अंश में कमी आयेगी और ऐसी परियोजना वायबलेटी गैप फंडिग के लिये भारत सरकार को प्रेषित की जा सकेगी। वर्तमान में वायबलेटी गैप फंडिग उन्हीं परियोजनाओं के लिये उपलब्ध है जिनमें शासकीय अनुदान परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से कम हो। प्रदेश में वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने से सड़क परियोजनाओं से निजी निवेशक को प्राप्त होने वाला प्रतिफल विकसित राज्यों की तुलना में कम है। इसलिये मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में वायबिलिटी गैप फंडिग की सीमा परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत की जानी चाहिये।

10. सरकार ने लम्बी अवधि से घाटे में चल रहे मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम को बंद करने का साहसिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने दो वर्षों में परिवहन निगम के लगभग 4000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ दिया है। प्रदेश के 681 राष्ट्रीयकृत मार्गों पर केवल निगम ही बस संचालन कर सकता था। निगम के पास इन मार्गों पर चलाने के लिये न तो पर्याप्त बसें थी और न ही नई बस खरीदने के लिये वित्तीय संसाधन थे। सरकार ने 215 मार्ग अराष्ट्रीयकृत किये हैं तथा अन्य 295 मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। सड़कों की स्थिति में सुधार और मार्गों के अराष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप निजी सेवा प्रदायकों को इन मार्गों पर बस संचालन का अवसर मिला है और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्ष 2005–06 में नवम्बर के अंत तक 459 बसें पंजीकृत की गईं हैं जबकि वर्ष 2004–05 में इसी अवधि में 241 बसें पंजीकृत हुईं थीं। इस प्रकार जन सामान्य को इस सुधार कार्यक्रम के परिणामस्वरूप पहले से बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध हो रही है।

वर्ष 2005–06 का पुनरीक्षित अनुमान

राजस्व प्राप्तियां

11. वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 21,344.41 करोड़ है। वर्ष 2005–06 में राज्य के स्वयं के कर–राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति को हमने बनाये रखा है। वर्ष 2005–06 का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 8933.34 करोड़ वर्ष 2004–05 की राजस्व प्राप्ति की तुलना में 14.97 प्रतिशत अधिक है और वर्ष 2005–06 के

बजट अनुमान से भी अधिक है। स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क, माल तथा यात्री कर और विद्युत कर एवं शुल्क की प्राप्तियों में वर्ष 2005–06 के बजट अनुमान की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि अनुमानित है।

12. करेत्तर राजस्व प्राप्ति का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 2239.16 करोड़ है जो बजट अनुमान रूपये 2,208.92 करोड़ से अधिक है।

आयोजनेत्तर व्यय

13. वर्ष 2005–06 के आयोजनेत्तर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 19,303.83 करोड़ है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 16,563.71 करोड़ है, जो बजट अनुमान की तुलना में रूपये 241.87 करोड़ कम है। इंदिरा सागर परियोजना से उत्पादित विद्युत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा नर्मदा जल विद्युत विकास निगम से सीधे क्रय करने के कारण इस विद्युत का राज्य शासन द्वारा क्रय–विक्रय करने हेतु प्रावधानित राशि रूपये 516.66 करोड़ के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में कमी हुई है। परन्तु सहायक अनुदान मद में रूपये 381.78 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण दिनांक 01.01.2001 से 31. 12.2003 की अवधि के लिये कृषि उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों की माफी के लिये मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को देरी से अनुदान वितरण के कारण नियामक आयोग के आदेशानुसार देय सरचार्ज रूपये 467.77 करोड़ है। राज्य शासन के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार की गई वृद्धि के कारण भी आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है। वर्ष 2005–06 में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तथा भवन रख–रखाव उद्देश्य अंतर्गत आयोजना मद में प्रावधानित कतिपय योजनाओं के व्यय का एक अंश रूपये 344.95 करोड़ को आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरित किया गया है।

14. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की पुनर्संरचना अन्तर्गत उत्तरवर्ती कंपनियों को रूपये 3289 करोड़ की अंशपूंजी प्रदाय की गई है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की अंश पूंजी से रूपये 814.78 करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली के भुगतान के समायोजन हेतु एवं रूपये 539.64 करोड़ उत्तरवर्ती कंपनियों के अंशपूंजी के भुगतान के लिये वापस प्राप्त किया गया है। इस कारण से आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय में रूपये 1941.82 करोड़ की वृद्धि पुनरीक्षित अनुमान में परिलक्षित है।

राजस्व घाटा

15. वर्ष 2005–06 के लिये राजस्व घाटे का पुनरीक्षित अनुमान बजट अनुमान रुपये 1186.69 करोड़ की तुलना में मात्र रुपये 25.49 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.02 प्रतिशत है।

अंतिम शेष (2005–06)

16. वित्तीय वर्ष में व्यय की समग्र रूप से विवेचना करने पर वर्ष के दौरान आय की तुलना में व्यय रूपये 293.60 करोड़ अधिक है। वर्ष 2005–06 के अंत में शेष ऋणात्मक रूपये 268.71 करोड़ अनुमानित है।

वर्ष 2006–07 का बजट अनुमान

राजस्व प्राप्तियां

17. वर्ष 2006–07 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां रुपये 23480.19 करोड़ अनुमानित है। इसमें से रुपये 17044.63 करोड़ कर राजस्व प्राप्ति है जो वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान से रुपये 1733.96 करोड़ अधिक है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्ति रुपये 10029.46 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान से 12.27 प्रतिशत अधिक है।

18. वर्ष 2006–07 में कर भिन्न राजस्व प्राप्ति रुपये 2059.08 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान से रुपये 180.08 करोड़ कम है। वर्ष 2005–06 में रुपये 467.77 करोड़ की ब्याज राशि राज्य विद्युत मंडल से समायोजन करने के कारण वर्ष 2006–07 में कर भिन्न राजस्व प्राप्ति के अनुमान में कमी परिलक्षित हो रही है।

राजस्व व्यय

19. कुल राजस्व व्यय रूपये 22509.97 करोड़ अनुमानित है। आयोजना राजस्व व्यय रूपये 5162.89 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान से 7.42 प्रतिशत अधिक है।

राजस्व आधिक्य

20. मुझे इस सदन को यह सूचित करने में हर्ष है कि 13 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद हम सदन के समक्ष रूपये 970.22 करोड़ राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में हमारे द्वारा राजस्व संग्रहण एवं व्यय के सूक्ष्म अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण का यह परिणाम है। इस आधिक्य का उपयोग अधोसंरचना निर्माण में किया जायेगा जिसके लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। भविष्य में राजस्व आधिक्य को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है जिससे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निश्चित राजकोषीय लक्ष्य की सीमा के भीतर रहते हुये सड़क. सिंचाई एवं ऊर्जा के क्षेत्र में पूंजीनिवेश बढ़ाया जा सके।

आयोजनेत्तर व्यय

21. वर्ष 2006–07 के लिये आयोजनेत्तर व्यय रूपये 17,999.81 करोड़ अनुमानित है, जो चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में रूपये 1304. 02 करोड़ कम है। वर्ष 2005–06 में राज्य विद्युत मंडल की पुनर्संरचना अन्तर्गत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनियों को एक मुश्त दी गई रुपये 3289 करोड़ की अंशपूंजी के कारण आयोजनेत्तर व्यय में यह कमी परिलक्षित है। वर्ष 2006–07 के लिये आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का बजट अनुमान रूपये 17,347.08 करोड़ तथा वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में रूपये 783.37 करोड़ अधिक है। इस प्रकार आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृध्दि नियंत्रित है जिससे विकास योजनाओं के लिये अधिकाधिक राशि उपलब्ध हो रही है।

22. सड़कों के रख–रखाव के प्रति हमारी सरकार गंभीर रही है। शासन की बागडोर जब हमें प्राप्त हुई थी, तब रखरखाव के अभाव में सड़कों की स्थिति दयनीय थी। अपने स्वयं के सीमित संसाधनों से सड़कों के रखरखाव हेतु अतिरिक्त धनराशि की हमने व्यवस्था की है। वर्ष 2005–06 में सड़कों के रखरखाव पर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 291.57 करोड़ है। वर्ष 2003–04 में रूपये 170.76 करोड़ सड़कों के रखरखाव पर व्यय किया गया था। हमने यह प्रयास भी किया था कि 12 वें वित्त आयोग से इसके लिये अतिरिक्त राशि प्राप्त हो। हमें इस बात की खुशी है कि आयोग ने हमारी मांग को गंभीरतापूर्वक लेते हुये प्रति वर्ष सड़कों के रखरखाव हेतु 146.72 करोड़ रूपये दिये हैं। वर्ष 2006–07 में सड़कों के रखरखाव पर पहले से

और अधिक व्यय करने का हमारा कार्यक्रम है। इसके लिये रूपये 429.17 करोड़ का बजट प्रावधान है।

23. सार्वजनिक भवनों का उचित रखरखाव भी उनकी दीर्घ आयु के लिये आवश्यक है। वर्ष 2006–07 में भवन संधारण हेतु बजट प्रावधान रूपये 265. 73 करोड़ है जो वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान रूपये 139.76 करोड़ से रूपये 125.97 करोड़ अधिक है। शासन ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2006–07 से विश्वकर्मा भवन नवजीवन अभियान प्रारम्भ किया जाये। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग के भवन जैसे चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाएं, आदि के भवनों के रखरखाव को प्राथमिकता दी जायेगी।

आयोजना व्यय

24. राज्य के विकास को गति प्रदान करने के लिये हमने विगत दो वर्षों में आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। वर्ष 2003–04 में राज्य आयोजना व्यय रूपये 5060.24 करोड़ था। हमने राज्य आयोजना व्यय को वर्ष 2004–05 में बढ़ाकर रूपये 6610.32 करोड़ किया था। वर्ष 2005–06 में राज्य आयोजना व्यय बढ़कर रूपये 8265.56 करोड़ तथा राज्य का कुल आयोजना व्यय रूपये 9605.52 करोड़ होना अनुमानित है। वर्ष 2006–07 के लिये आयोजना मद में रुपये 10397.74 करोड़ का कुल प्रावधान है। इसमें से रुपये 4785.08 करोड़ पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधानित है।

25. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में रुपये 1963.40 करोड़ का प्रावधान है, जो वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में रुपये 190.21 करोड़ अधिक है। यह प्रावधान कुल राज्य आयोजना व्यय का 21.65 प्रतिशत है। विशेष घटक योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में रुपये 1102.27 करोड़ का प्रावधान है, जो वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में रुपये 181.44 करोड़ अधिक है। यह प्रावधान कुल राज्य आयोजना व्यय का 12.15 प्रतिशत है।

26. राज्य की भौतिक अधोसंरचना के विकास को उच्च प्राथमिकता देने की अपनी सरकार की वचनबद्धता के अनुसार हमने गत दो वर्षों में सिंचाई, सड़क, बिजली जैसे भौतिक अधोसंरचना के विकास के लिये, आयोजना परिव्यय में, सिंचाई में 53 प्रतिशत, बिजली में 70 प्रतिशत एवं सड़कों में 103

प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की है और इसके परिणाम भी अब सभी जनसामान्य को दिखाई देने लगे हैं ।

सड़क

27. राज्य में रेल परिवहन की अपर्याप्तता के कारण औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिये सड़क परिवहन का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। विगत दो वर्षों में प्रदेश में सड़कों के उन्नयन का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। हमने सड़कों के विकास के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाये हैं।

28. प्रदेश में सड़कों के विकास हेतु एशियन विकास बैंक ने लगभग रूपये 600 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है। इस योजना की अनुमानित लागत रूपये 932 करोड़ है। प्रथम चरण की निर्माणाधीन 6 सड़कें जिनकी कुल लम्बाई 332.57 किलोमीटर तथा लागत रूपये 250.18 करोड़ है, नवम्बर, 2006 तक पूर्ण हो जायेंगी। द्वितीय चरण की 18 सड़कें जिनकी लम्बाई 1270 किलोमीटर तथा लागत रूपये 699.28 करोड़ है, के लिये निविदायें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

29. ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु नाबार्ड मद में रूपये 195.24 करोड़ का प्रावधान है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत रूपये 93.26 करोड़ तथा सड़क अधोसंरचना विकास हेतु रूपये 52 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन महत्व की सड़कों के विकास हेतु रूपये 55 करोड़ का प्रावधान है।

30. सड़क सुविधा के विकास हेतु अन्य स्त्रोत से भी धनराशि की व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने का शासन ने निर्णय लिया है । इस ऋण राशि के विरूद्ध सड़कों के विकास हेतु वर्ष 2006–07 के बजट में रूपये 45 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं में रूपये 192 करोड़ का प्रावधान है।

31. बॉन्ड बी.ओ.टी. पद्धति अन्तर्गत कुल लम्बाई 2017 किलोमीटर तथा लागत रूपये 932.37 करोड़ की सड़कों का निर्माण स्वीकृत है। अब तक 1514 किलोमीटर सड़क कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इसमें से 1373 किलोमीटर पर पथकर संग्रहण प्रारंभ हो चुका है। इस पद्धति के तहत 256

किलोमीटर लम्बाई के 3 नये मार्ग, जिनकी लागत रूपये 144 करोड़ है, के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार होकर निविदा बुलाई जा रही है।

32. प्रदेश में 500 आबादी वाले सम्पर्क ग्रामों की संख्या 16449 थी। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 3790 मार्गों की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनकी लम्बाई 18389 कि.मी. तथा लागत रूपये 3302.74 करोड़ है। इन मार्गों के निर्माण से 6453 ग्राम बारहमासी सड़कों से जुड़ जायेंगे। दिसम्बर, 2005 तक 3306 ग्रामों को जोड़ा जा चुका है। वर्ष 2006–07 में लगभग 1000 अतिरिक्त ग्रामों को जोड़ने के लिये 5000 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है जिनकी लागत रूपये 1000 करोड़ है।

विद्युत

33. प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता के विकास हेतु वर्ष 2006–07 के बजट में रुपये 503 करोड़ का प्रावधान है जिनमें से रुपये 117.78 करोड़ नर्मदाघाटी विकास विभाग की परियोजनाओं के लिये तथा रुपये 385. 22 करोड़ मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी की परियोजनाओं के लिये हैं।

34. बिरसिंहपुर ताप विद्युत गृह की 500 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन इकाइयों को सितम्बर, 2006 में क्रियाशील करने का हमारा लक्ष्य है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह की 210 मेगावाट क्षमता की इकाई से फरवरी, 2007 में उत्पादन प्रारंभ करने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है। उक्त दोनों ताप विद्युत गृह परियोजनाओं हेतु क्रमशः रुपये 290 करोड़ तथा रुपये 95 करोड़ का बजट प्रावधान है। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण का कार्य भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन फरवरी, 2007 से प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

35. नर्मदाघाटी विकास विभाग व्दारा क्रियान्वित योजनाओं में से सरदार सरोवर परियोजना हेतु रुपये 70 करोड़, इंदिरा सागर केनाल बेड परियोजना हेतु रुपये 20 करोड़, ओंकारेश्वर केनाल बेड परियोजना हेतु रुपये 10 करोड़ तथा बर्गी केनालबेड पावर हाउस के लिये रूपये 2.78 करोड़ का प्रावधान है। सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत उत्पादन के परिचालन एवं संधारण के लिये रूपये 15 करोड़ का प्रावधान है।

36. निजी भागीदारी से क्रियान्वित महेश्वर परियोजना का निर्माण कार्य भी पुनः प्रारंभ हो गया है। वर्तमान निर्माण कार्यक्रम अनुसार इस परियोजना से विद्युत उत्पादन वर्ष 2008–09 से प्रारंभ होना अनुमानित है।

37. विगत वर्षों में प्रदेश में ताप विद्युत गृहों के संचालन में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता न होना चिन्ता का एक विषय बन रही है। भविष्य में मध्य प्रदेश के ताप विद्युत गृहों को आवश्यकतानुसार कोयले की पर्याप्त आपूर्ति होती रहे इसके लिये सरकार व्यवस्था कर रही है। प्रदेश में स्थापित ताप विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम द्वारा एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया है। इस उपक्रम के द्वारा सीधी जिले के इमलिया कोयला डिपाजिट का विकास किया जाकर उससे बिरसिंहपुर तथा अमरकंटक ताप विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति की जायेगी।

38. वर्ष 2006–07 के लिये पारेषण प्रणाली की सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु रूपये 344.20 करोड़ एवं उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु रूपये 260 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

39. ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्य विद्युत मंडल को रूपये 30 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विकास निधि से रूपये 56.19 करोड़ की राशि मंडल को विभिन्न परियोजनाओं के लिये उपलब्ध कराई जायेगी।

कृषि एवं सिंचाई

40. प्रदेश में विगत दो वर्षों में मानसून का प्रदर्शन कमजोर रहा है। वर्ष 2004–05 में मानसून की सक्रियता समय से पहले ही कम हो गई। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र के उत्पादन मूल्य में स्थिर भावों पर 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2005–06 में प्रदेश में रबी के मौसम में वर्षा तथा मावठा का अभाव रहा है, इसका प्रतिकूल प्रभाव रबी के उत्पादन पर पड़ने का अनुमान है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिये अब महंगे आदानों का महत्व बढ़ रहा है परन्तु मौसम की अनिश्चितता के कारण कृषि में अस्थिरता बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण जहां एक तरफ विकास की नई संभावनायें उपलब्ध हुई हैं वहीं नई चुनौतियां भी मिल रही

हैं। ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र के विकास के लिये नीति, कार्यक्रमों और उपायों की अनुशंसा करने के लिये राज्य सरकार ने कृषक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

41. मानसून पर हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की अत्यधिक निर्भरता के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई विकास का महत्व स्पष्ट है। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 5.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित हो रही है। निर्मित हो रही सिंचाई क्षमता का पूरा तथा त्वरित लाभ प्राप्त करना आवश्यक हैं। इसके लिये सिंचाई तथा कृषि विस्तार एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। इसके साथ ही सरकार ने वर्षा जल के अधिकाधिक संग्रहण हेतु जनभागीदारी से जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया है।

42. प्रदेश की वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में, विशेषकर प्रदेश के मध्य एवं पश्चिमी भाग में रूपांकित सिंचाई क्षमता में से 30–40 प्रतिशत खरीफ के लिये निश्चित है। पूर्व में सिंचाई दरों का निर्धारण इस प्रकार था कि फसल के लिये एक बार सिचाई लेने पर भी पूरी फसल–मौसम के लिये सिंचाई शुल्क देय होता था। इससे किसान जलाशयों में उपलब्ध पानी का लाभ खरीफ की सिंचाई के लिये कम लेते थे। सिंचाई शुल्क का निर्धारण अब इस प्रकार किया है कि केवल एक बार सिंचाई का पानी लेने पर किसान को पूरे खरीफ–मौसम के लिये सिंचाई शुल्क देने की बाध्यता न रहे। हमें आशा है कि अब खरीफ के लिये रुपांकित सिंचाई क्षमता का अधिकाधिक उपयोग किसानों व्दारा किया जायेगा।

43. वर्ष 2003–04 में सिंचाई सुविधा के विकास हेतु रूपये 1137.81 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया था। वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार रूपये 1757.20 करोड़ का पूंजीगत व्यय अनुमानित है। इस प्रकार हमने लगभग दो वर्षों के ही अल्पकाल में सिंचाई सुविधा विकास पर होने वाले पूंजीगत व्यय में 54 प्रतिशत की वृद्धि की है।

44. नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में 96,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई थी जबकि हमारे प्रयासों के कारण 10 वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में लगभग 2.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। जून, 2006 तक 1,80,600 हेक्टेयर

तथा जून, 2007 तक अतिरिक्त 2,37,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित करने का हमारा कार्यक्रम है। इस प्रकार नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की उपलब्धि मात्र 96,000 हेक्टेयर की तुलना में 10 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होने जा रही है।

45. वर्ष 2006–07 में सिंचाई कार्यों हेतु बजट प्रावधान रूपये 1908.18 करोड़ है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अर्थात एआईबीपी के अंतर्गत आगामी वर्ष के लिये कुल रुपये 1070.51 करोड़ का बजट प्रावधान है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी कृषकों को लाभान्वित करने वाली लघु सिंचाई योजनाओं तथा नयी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल कराने का हमारा प्रयास है।

46. विगत 2 वर्षों में हमने लगभग 725 नयी सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी थी। वर्ष 2006–07 के बजट में 275 नवीन सिंचाई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

47. किसानों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा बाजार में हो रहे परिवर्तन को दृष्टिगत कर फसल चक्र में उपयुक्त परिवर्तन किये जा रहे हैं। मसालों एवं साग–सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन में वृद्धि परिलक्षित है। प्रदेश के 24 जिलों में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन परियोजना के अंतर्गत उद्यानिकी विकास के लिये अधोसंरचना का विकास किया जाना प्रस्तावित है जिससे उद्यानिकी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा।

कृषि साख

48. आधुनिक कृषि के लिये संस्थागत वित्त महत्वपूर्ण इनपुट है। मार्च, 2005 की स्थिति में कृषि क्षेत्र के लिये कुल बैंक अग्रिम रूपये 32,888 करोड़ था जो मार्च 2004 की स्थिति से 31.3 प्रतिशत अधिक है। कृषि एवं सम्बध्द गतिविधियों के लिये वर्ष 2004–05 में रुपये 5632 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है जो पिछले वर्ष उपलब्ध कराये गये ऋण से 62 प्रतिशत अधिक है।

49. यद्यपि व्यवसायिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व्दारा दी जा रही ऋण राशि में महत्वपूर्ण वृध्दि दर्ज की गई है। परंतु अभी भी सहकारी साख

संस्थाओं की अग्रणी भूमिका है। विगत कुछ वर्षों में इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में गिरावट देखी गई है। सहकारी साख संस्थाओं के पुनर्जीवन हेतु गठित वैद्यनाथन समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार व्दारा प्रस्तावित सहायता पैकेज को हमारी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस सहायता पैकेज के क्रियान्वयन के लिये बजट में रुपये 181.56 करोड़ की राशि का प्रावधान है।

उद्योग

50. प्रदेश में सरकार की उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। इस नीति के फलस्वरूप दिसम्बर, 2005 तक रूपये 1500 करोड़ से ज्यादा का पूंजी निवेश वृहद एवं मध्यम उद्योगों में हो चुका है। भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड के बीना तेल शोधक कारखाने के लिये इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है और यह लक्ष्य है कि दिसम्बर, 2009 तक उत्पादन प्रारंभ हो जाये।

51. पीथमपुर में आटो टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की जा रही है, जिसमें समूचे विश्व की कारों की टेस्टिंग की जायेगी। इसके लिये 4 हजार एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना से क्षेत्र में और पूंजीनिवेश आकर्षित होगा तथा रोजगार अवसर भी निर्मित होंगे।

52. पीथमपुर में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना निजी भागीदारी से की जा रही है। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में 19 उद्योगों को भूमि आवंटित की जा चुकी है जिसमें से 4 इकाईयों ने रूपये 200 करोड़ की लागत के उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।

पर्यटन

53. हमें विपुल प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। इस विरासत के कारण प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। सड़क जैसी मूलभूत अधोसंरचना के विकास व्दारा पर्यटन उद्योग में पूंजीनिवेश आकर्षित किया जा सकता है और पर्यटन उद्योग की आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के अतिरिक्त अवसर निर्मित हो सकते है। इसलिये पर्यटन महत्व के स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के उन्नयन का कार्यक्रम लिया

गया है। वर्ष 2006–07 के बजट में इसके लिये रुपये 55 करोड़ का प्रावधान है ।

54. पर्यटक स्थलों में अधोसंरचना विकास एवं प्रदेश के पर्यटन संबंधी आकर्षण तथा सुविधा का प्रचार–प्रसार करने हेतु रुपये 16.75 करोड़ का प्रावधान है। पर्यटन विकास के लिये वर्ष 2006–07 में कुल प्रावधान रुपये 57.19 करोड़ है जो कि वर्ष 2005–06 के कुल प्रावधान से दुगना है।

55. इसके अतिरिक्त भोपाल तथा इंदौर के प्रमुख हवाई अड्डों के उन्नयन हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था के लिये वर्ष 2005–06 के व्दितीय अनुपूरक अनुमान में रुपये 15 करोड़ का प्रावधान था। वर्ष 2006–07 में इन हवाई अड्डों के विकास के लिये रुपये 12.40 करोड़ का प्रावधान है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ–साथ पर्यटन के विकास को भी गति मिलेगी।

स्वास्थ्य

56. लोक स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों की दृष्टि से हमारा प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रहा है और हमें इस बारे में चिन्ता है। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, विस्तार एवं उन्नयन हेतु धनराशि बढ़ाने का हमने प्रयास किया है। चिकित्सा सेवाओं के लिये कुल रूपये 362.26 करोड़ का बजट प्रावधान है जो गत वर्ष से 42 प्रतिशत अधिक है।

57. संस्थागत प्रसव सुविधा के विस्तार हेतु 500 प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर उनमें चौबीस घण्टे सामान्य प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इन संस्थाओं के लिये 1200 ए.एन.एम. के पद स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 1000 दुर्गम उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एक के मान से 1000 ए.एन.एम. के अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं। आर.सी. एच. कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत प्रसव सुविधा को मजबूत करने के लिये 1200 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत कर भरती करने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सालयों में नर्सो की कमी को दूर करने के लिये वर्ष 2006–07 के बजट में 500 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु प्रावधान है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सकेगा।

58. हमने अपने वित्तीय संसाधनों से स्वास्थ्य संस्थाओं की भौतिक अधोसंरचना में मौजूद कमी को दूर करने का कार्यक्रम लिया है।इसके लिये वर्ष 2006–07 के बजट में रूपये 94.98 करोड़ का कुल प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों के 98 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 157 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 377 उप स्वास्थ्य केन्द्र और 494 आवासीय भवनों का निर्माण वर्तमान में प्रगति पर है तथा वर्ष 2006–07 में इन्हें पूर्ण करने के लिये रूपये 44.56 करोड़ का प्रावधान है। जिला अस्पतालों के 11 भवनों का उन्नयन प्रगति पर है जिन्हें पूरा करने के लिये रूपये 5.29 करोड़ का बजट प्रावधान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 161 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 366 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिये रूपये 45.13 करोड़ का प्रावधान है।

59. आठ सिविल अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधा का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। इन अस्पतालों में 300 अतिरिक्त शैय्याओं तथा तद्नुसार चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु बजट में प्रावधान है।

60. हमने दीनदयाल अन्त्योदय योजना का विस्तार सभी गरीब परिवारों के लिये करने का निर्णय लिया है। दीनदयाल उपचार योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 में प्रावधान रूपये 19.42 करोड़ है ।

61. प्रसव हेतु परिवहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 में 2 लाख 23 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस हेतु प्रावधान रूपये 12.25 करोड़ है।

62. राज्य बीमारी सहायता निधि के प्रावधान को विकेन्द्रीकृत किया जाकर जिला स्तर पर रूपये 75 हजार तक की सहायता के प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार, प्रदान किये गये हैं। इस हेतु वर्ष 2006–07 के लिये बजट प्रावधान रूपये 5 करोड़ है।

63. बुंदेलखण्ड में चिकित्सीय सुविधा के विकास हेतु राज्य सरकार ने सागर में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है इसके लिये बजट में रूपये 5 करोड़ का प्रावधान है।

64. शासकीय अस्पतालों के लिये दवाईयों की खरीदी हेतु एक नई नीति तैयार करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन

के लिये उत्तरदायी संगठन द्वारा ही दवाओं की खरीदी के संबंध में समय–समय पर उपयुक्त निर्णय लिये जायेंगे।

शिक्षा

65. प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वित करने हेतु प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना रुपये 1293 करोड़ थी। वर्ष 2006–07 में रुपये 1800 करोड़ की वार्षिक योजना प्रस्तावित है। इस हेतु राज्यांश के लिये रुपये 450 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार हेतु 50 सीट की क्षमता वाले 37 आश्रमों की स्थापना भी प्रस्तावित है।

66. मदरसों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का लाभ पहुंचाने के लिये लगभग 4000 मदरसों को पहली बार, चालू वर्ष में 2000 रूपये प्रति मदरसा की दर से शाला विकास अनुदान दिया गया है तथा 500 रूपये प्रति शिक्षक के मान से अनुदान दिया गया है। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की गई है।

67. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरुप प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में नामांकन तथा ठहराव में उल्लेखनीय वृध्दि हुई है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बेहतरी के लिये वर्ष 2006–07 के लिये रुपये 393 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष से 80 प्रतिशत अधिक है। बढ़े हुये प्रावधान के कारण प्रति छात्र खाद्यान्न के अतिरिक्त, रुपये 1.50 प्रतिदिन के मान से भोजन पकाने के लिये धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। इससे कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार होगा।

68. प्रदेश की आंगनवाड़ीयों के माध्यम से बच्चों के लिये पोषण आहार हेतु वर्ष 2006–07 के लिये रूपये 293.26 करोड़ का प्रावधान बजट में है जो वर्ष 2005–06 की तुलना में रूपये 118.93 करोड़ अधिक है।

69. पहली कक्षा से लेकर आठवीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क गणवेश वितरित किया जाता है। अभी तक यह कार्यक्रम प्रदेश के 284 विकासखण्डों में संचालित हैं। कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य

सरकार ने शेष रहे 29 विकासखण्डों में भी इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

70. पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय हमने इस संकल्प को व्यक्त किया था कि प्रदेश में कोई भी प्राथमिक शाला भवन विहीन नहीं रहेगी। वर्ष 2006–07 में 1771 प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण करने का हमारा कार्यक्रम है ताकि प्रदेश में कोई भी प्राथमिक शाला भवन विहीन न रहे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–07 में 4649 माध्यमिक शाला भवनों तथा 23 हजार अतिरिक्त कमरों के निर्माण का भी कार्यकम है।

71. प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की सफलता के कारण माध्यमिक शिक्षा की मांग में वृध्दि होना स्वाभाविक है। सरकार इस मांग की पूर्ति हेतु हाईस्कूलों तथा हायरसेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या एवं क्षमता में वृध्दि करने का कार्यक्रम ले रही है। वर्ष 2006–07 में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 174 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन तथा 50 हाईस्कूलों का हायरसेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन प्रस्तावित है ।

72. आदिवासी क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान के अतिरिक्त संकाय प्रारंभ करना प्रस्तावित है। 38 प्रीमैट्रिक आदिवासी छात्रावासों को उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित किया जायेगा। पचास सीट के दो आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्थापना की जाना भी प्रस्तावित है।

73. हाईस्कूल स्तर पर छात्राओं के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिये हमारी सरकार ने 9 वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति तथा जन जाति एवं अन्य वर्गों की गरीब बालिकाओं को मुफ्त सायकल वितरण करने का कार्यक्रम लिया है। पिछले दो वर्षो में लाभान्वित छात्राओं की संख्या लगभग 71 हजार है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुये राज्य शासन ने निःशुल्क सायकल वितरण का लाभ अब अपने ग्राम को छोड़कर हाईस्कूलों में प्रवेश लेने वाली सभी बालिकाओं को देने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम से वर्ष 2006–07 में 77 हजार छात्राओं के लाभन्वित होने का अनुमान है।

74. आदिवासी क्षेत्रों में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये प्री–मैट्रिक छात्रावासों में 2000 सीटों की वृद्धि तथा 50 नये प्री–मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना प्रस्तावित है।

75. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कक्षा नौ से बारहवीं में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं के लिये वर्तमान में बुक बैंक योजना संचालित है। वर्ष 2006–07 में इस योजना में सुधार करते हुये निःशुल्क पाठ्य पुस्तके स्थायी रुप से प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदाय की जायेगी। इस कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुये सरकार ने बुक बैंक योजना का लाभ अन्य वर्गों के गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

76. हाईस्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों की भौतिक अधोसंरचना के विकास हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत बजट में कुल रुपये 19.48 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों में 25 हाईस्कूल तथा 25 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण प्रस्तावित हैं, जिनके लिये रुपये 15.11 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये सात संभागीय आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण भी कराये जा रहे हैं, जिसके लिये रूपये 7.37 करोड़ का प्रावधान है। आदिवासी छात्रों के लिये भवन विहीन 6 पोस्ट–मैट्रिक छात्रावास भवन, 1 पीटीजी छात्रावास भवन तथा 33 छात्रावास भवन निर्मित कराये जाने हेतु रुपये 15.29 करोड़ का प्रावधान है।

77. अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से 119 संस्थाओं के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने तथा अतिरिक्त 35 संस्थाओं के भवन निर्माण करने के लिये रूपये 23. 45 करोड़ का प्रावधान है। छात्रावास–आश्रम भवनों के उन्नयन हेतु प्रावधान रूपये 17.37 करोड़ है जो गत वर्ष की तुलना में 74 प्रतिशत अधिक है।

78. विमुक्त घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ जाति के छात्र–छात्राओं की शिक्षा हेतु 46 बालक तथा 70 कन्या आश्रम की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित है। इसके लिये वर्ष 2006–07 के बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास

79. रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अपेक्षा के अनुसार हमारी सरकार ने प्रदेश में मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना दिनांक 2 फरवरी, 2006 से

लागू की है। इस योजना को प्रदेश के 18 जिलों में लागू करने के लिये हमारे द्वारा आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था की गई है और योजना के क्रियान्वयन हेतु समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। इस हेतु वर्ष 2006–07 के लिये राज्यांश के रूप में रूपये 140 करोड़ का प्रावधान है।

80. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिये रूपये 142.65 करोड़ तथा इंदिरा आवास योजना के लिये रूपये 27.68 करोड़ का बजट प्रावधान है।

81. ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिये रूपये 50.70 करोड़ तथा डी.पी. आई.पी. परियोजना के लिये रूपये 155 करोड़ का प्रावधान है। गोकुल ग्राम योजना हेतु वर्ष 2006–07 के बजट में रूपये 15 करोड़ का प्रावधान है।

पंचायत एवं सामाजिक न्याय

82. प्रदेश के सभी जिलों में ''दीनदयाल अन्त्योदय मिशन'' स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह मिशन मुख्यतः निःशक्त, निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास, अनाथ एवं निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह एवं उपेक्षित अनाथ बच्चों के पुनर्वास संबंधी कार्य करेगा। इस योजना के अंतर्गत रूपये 5 करोड़ का प्रावधान है।

83. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की बस्तियों के विकास के लिये वर्ष 2006–07 में रूपये 16 करोड़ का प्रावधान है जो गत वर्ष के प्रावधान से दुगना है।

84. शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसी ग्राम पंचायतें, जहां समुदाय के प्रयासों से अपराधिक घटनायें घटित नहीं हुई हो एवं जहां निर्वाचन निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से हुआ हो, उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाये। इस हेतु प्रारंभिक तौर पर रूपये 2.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

85. ग्रामीण निकायों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली मूलभूत कार्यों हेतु राशि रुपये 213 करोड़ तथा 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि रुपये 332.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

86. राज्य शासन ने प्रत्येक जिले में जन–अभियान समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ये समितियां विकास में जनभागीदारी बढ़ाने के लिये समाज के सभी वर्गो का योगदान प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही करेंगी। इन समितियों के लिये रूपये 2.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नगरीय विकास

87. प्रदेश में चार शहर क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर के अधोसंरचना विकास, पेयजल, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन आदि के लिये जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी योजना प्रारंभ की जा रही है इस योजना के अंतर्गत रुपये 65 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2006–07 के दौरान आवश्यकतानुसार इस योजना में अतिरिक्त प्रावधान किया जावेगा। इसके साथ ही प्रदेश की मलिन बस्तियों के विकास के लिये रुपये 32 करोड़ का प्रावधान है। इससे अयोध्या बस्तियों में पर्यावरण सुधार के कार्य भी लिये जा सकेंगे।

88. देवास प्रदेश की एक प्रमुख औधोगिक तथा सांस्कृतिक नगरी है। इस नगर की अधोसंरचना विकास के लिये हमें 12वें वित्त आयोग से विशिष्ट अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके उपयोग हेतु वर्ष 2006–07 के बजट में रुपये 6.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

89. नगरीय निकायों को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली मूलभूत कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2006–07 के लिये रुपये 83 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान राशि के रुप में रुपये 72.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

90. भोपाल गैस त्रासदी स्थल पर स्मारक निर्माण करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इस हेतु रुपये 10.10 करोड़ का बजट प्रावधान है।

पेयजल

91. वर्ष 2006–07 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से 25 हजार नलकूपों का खनन कर 11 हजार पॉच सौ अछूते एवं आंशिक रुप से पूर्ण बसाहटों में तथा 10 हजार ग्रामीण स्कूलों में हेण्डपम्प लगाये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के सहयोग से लगभग साढ़े पांच लाख व्यक्तिगत शौचालय

बनाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। शहरी क्षेत्रों की 60 पेयजल योजनाओं को वर्ष 2006–07 में पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसके लिये रुपये 313.46 करोड़ का प्रावधान है।

परिणामी बजट

92. विकास योजनाओं से अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति जानने के लिये इन योजनाओं पर प्रस्तावित व्यय के परिणामों का विनिश्चियन आवश्यक है। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विकास योजनाओं से वांछित परिणामों का विवरण विधान सभा में प्रस्तुत किया जाय। वर्ष 2006–07 के बजट में सम्मिलित योजनाओं के बारे में परिणामी बजट इसी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण

93. कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग हैं तथा सरकार इनकी आवश्यकताओं के प्रति गंभीर है। भारत सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे महंगाई भत्ते की तुलना में राज्य के कर्मचारियों को कम दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में यह अंतर 12 प्रतिशत है, जिसको पाटना हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में 3 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में महंगाई भत्ते की दर में जितनी वृद्धि की जायेगी, उतना अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। इसी के अनुरूप पेन्शनरों को महंगाई राहत की दर में वृद्धि की जायेगी।

94. शिक्षा कर्मियों को प्रतिमाह उनके मूल वेतन पर 220 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाना प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के लगभग 81 हजार शिक्षा कर्मियों को रूपये 176 से लेकर रूपये 272 प्रतिमाह का लाभ होगा।

95. पंचायत कर्मियों को प्रतिमाह रूपये 1250 मानदेय दिया जा रहा है इस मानदेय में रूपये 350 प्रतिमाह की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 19 हजार पंचायत कर्मियों को लाभ होगा।

96. वर्तमान में स्वयंसेवी होमगार्ड्स एवं अन्य स्वयंसेवी रैंक को रूपये 50 से रूपये 66 के बीच प्रतिदिन मानवेतन दिया जा रहा है। इसमें 20 रूपये प्रतिदिन की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

97. कर्मचारियों को दिये जा रहे महंगाई भत्ते तथा होमगार्ड्स एवं पंचायत कर्मियों को देय मानदेय में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2006–07 में लगभग रूपये 400 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा जिसके लिये आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है।

अंतिम शेष

98. वर्ष 2006–07 में कुल प्राप्तियां रूपये 28617.71 करोड़ तथा कुल व्यय रूपये 28397.55 अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेनदेन रूपये 220.16 करोड़ है। और वर्ष 2006–07 का अंतिम शेष रूपय 48.55 करोड़ ऋणात्मक रहने की संभावना है। इस घाटे की पूर्ति मितव्ययता के उपाय तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाकर की जावेगी।

99. सामाजिक न्याय की विभिन्न पदों पर हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रावधान किये हैं जिससे निर्धन, अशक्त, असहाय एवं कमजोर व्यक्ति को पुरूषार्थी बनने में सहारा मिले। मातृशक्ति के उत्थान का विशेष ध्यान रखा गया है। अन्त्योदय हमारा मूल दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में **" करोड़ों लोग बेसहारा एवं अनपढ़ हैं। अपने बच्चों का भविष्य क्या हो ? यह प्रश्न करोड़ों माता–पिताओं के सामने मुंह बांये खड़ा है। इन करोड़ों लोगों को अपने चारों पुरूषार्थों को साधने का अवसर मिले तभी एकात्म मानव की कल्पना साकार होगी।"**

भाग–दो

अध्यक्ष महोदय,

वर्ष 2005–06 का बजट प्रस्तुत करते हुये मैंने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार व्दारा एक अप्रैल, 2005 से वैट लागू करने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। परंतु भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय विक्रय कर समाप्त करने के संबंध में कोई सुस्पष्ट नीति घोषित नहीं होने के कारण वैट प्रणाली लागू नहीं की गई थी। अब केन्द्रीय विक्रय कर समाप्त करने के विषय पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति में आम सहमति बन रही है, इसके अंतर्गत चरणबद्ध रुप से केन्द्रीय विक्रय कर की दरों में कमी की जायेगी। भारत सरकार से यह भी अपेक्षा रहेगी कि इस समिति की अनुशंसाओं के अनुसार केन्द्रीय विक्रय कर की दर में कमी के कारण राज्यों के राजस्व आय में होने वाली कमी की भरपाई करें।

2. अतः राज्य सरकार व्दारा निर्णय लिया गया है कि एक अप्रैल, 2006 से इस प्रदेश में भी वैट व्यवस्था लागू कर दी जाये ताकि पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था हो। इससे हमें आशा है कि प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

3. वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये बजट प्रस्तुत करते समय स्थानीय महत्व की जिन 10 वस्तुओं को राज्य सरकार ने वैट के अंतर्गत कर मुक्त रखने की घोषणा की थी उन वस्तुओं के अतिरिक्त स्थानीय महत्व की 3 वस्तुओं – यज्ञोपवीत या जनेउ, पतंग, सबई घास और उससे बनी हुई रस्सी को भी करमुक्त रखने का निर्णय लिया गया है।

4. मैंने गत वर्ष अपने बजट भाषण में कहा था कि वर्ष 2005–06 में खाद्यान्न पर वैट नहीं लगेगा। हमने अभी भी खाद्यान्न को वैट से मुक्त रखने का निर्णय लिया है

5. वैट प्रणाली के अंतर्गत कर की दरें भारत सरकार व्दारा गठित सशक्त समिति व्दारा निर्धारित वैट दरों के अनुरुप तय की जाएंगी।

6. वर्तमान में सिगार, चुरुट, सिगरेट और तम्बाकू की सिगारेल्लों पर प्रवेश कर की दर 8 प्रतिशत है। तम्बाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

इनके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये प्रवेश कर की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है, इससे प्रतिवर्ष रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है।

7. वर्तमान में तम्बाकूयुक्त पान मसाला और तम्बाकूयुक्त गुटका पर 20 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है।इन मालों पर प्रवेश कर की दर बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रतिवर्ष रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति संभावित है।

8. तम्बाकूयुक्त पान मसाला और तम्बाकूयुक्त गुटका को छोड़कर शेष पान मसाला और गुटका पर वर्तमान में 23 प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर एवं एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर इस प्रकार कुल करभार 24 प्रतिशत है। दिनांक 01–04–2006 से वैट लागू हो जाने पर इन मालों को 12.5 प्रतिशत की कर दर में रखा जाना प्रस्तावित है। अतः ऐसी स्थिति में मालों से प्राप्त होने वाली राजस्व क्षतिपूर्ति के लिये प्रवेश कर की दर एक प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत रखना प्रस्तावित है।

9. मध्यप्रदेश में सीमेंट निर्माण काफी मात्रा में होता है परंतु अधिकतर सीमेंट का राज्य से बाहर स्टाक ट्रान्सफर हो जाने से राज्य शासन को इनसे कोई वाणिज्यिक कर अथवा केन्द्रीय विक्रय कर प्राप्त नहीं होता है। यह प्रस्तावित है कि सीमेंट निर्माता इकाइयों के व्दारा स्टाक ट्रान्सफर किये जाने वाले सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे मालों पर (चूना पत्थर को छोड़कर) 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर विधान की धारा 4–ए के तहत लगाया जाये। यह भी प्रस्तावित है कि सीमेंट की अन्तर्राज्यीय बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्रीय विक्रय कर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाये। इससे प्रतिवर्ष रुपये 25 करोड़ की अतिरिक्त आय संभावित है।

10. वर्तमान में स्व–सहायता समूहों व्दारा निष्पादित किये जाने वाले बंधक विलेखों पर 4 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क तथा एक प्रतिशत की दर से जनपद पंचायत शुल्क देय है। प्रस्तावित है कि स्व–सहायता समूहों व्दारा रुपये 10 लाख तक के ऋणों को प्रतिभूत करने के लिये बैंकों के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाली प्रत्येक लिखत को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की जाये। इससे प्रतिवर्ष लगभग रुपये 4.00 करोड़ की हानि संभावित है।

11. वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति के सभी कृषकों तथा अन्य वर्गों के 10 हेक्टेयर तक भूमि धारित करने वाले कृषकों व्दारा कृषि प्रयोजन के लिये बैंकों के पक्ष में निष्पादित बंधक विलेखों तथा ऐसे बंधक विलेखों के भाग के रुप में आडमान विलेखों पर स्टाम्प शुल्क छूट प्रदान की गई है। यह प्रस्तावित है कि छूट का विस्तार सभी कृषकों व्दारा कृषिक प्रयोजन के लिये रुपये 10 लाख तक के ऋणों के विरुद्ध निष्पादित किये जाने वाले सभी प्रतिभूति संबंधी दस्तावेजों पर, बिना भूमि की किसी सीमा के,किया जाये तथा रुपये 10 लाख से अधिक राशि के ऋणों के मामलें में बंधक विलेखों पर प्रतिभूत रकम के एक प्रतिशत की दर से शुल्क अधिरोपित किया जाये। उक्त प्रावधान करने पर राज्य शासन को स्टाम्प शुल्क की कोई हानि होने की संभावना नहीं है।

12. राज्य में चालू समुत्थानों के हस्तांतरण–पत्रों पर सम्पति, जो कि दस्तावेज की विषय वस्तु है, के बाजार मूल्य पर 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है। इस प्रकार चालू समुत्थानों की चल सम्पति, मशीनरी एवं प्लान्ट पर भी अचल सम्पति की भांति 8 प्रतिशत की दर से शुल्क देय होता है। इस शुल्क के अत्यधिक भार के कारण कम्पनियों के संविलियन एवं अधिग्रहण में दस्तावेजों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। अतः यह प्रस्तावित है कि चालू समुत्थानों के अंतरण के मामलों में प्लान्ट एवं मशीनरी तथा अन्य चल सम्पति के मूल्य पर शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की जाये तथा किसी एक लिखत पर स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा रुपये 10 करोड़ निर्धारित की जाये। इससे शासन के राजस्व को क्षति नहीं होगी।

13. वर्तमान में राज्य के होटलों में मात्र 60 रुपये प्रतिदिन तक किराये के कमरे पर लक्झरी टेक्स से छूट है। 150 रुपये तक प्रतिदिन किराये के कमरे पर 5 प्रतिशत की दर से तथा इससे अधिक किराये पर 10 प्रतिशत की दर से कर देय है। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये यह प्रस्तावित है कि छूट की सीमा 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तक की जाये। 501 रुपये से 1000 रुपये तक प्रतिदिन किराये के कमरे पर 5 प्रतिशत की दर से तथा इससे अधिक किराये के कमरे पर 10 प्रतिशत की दर से लक्झरी टेक्स लिया जाये। इसके फलस्वरुप् वर्ष में रुपये 3.00 करोड़ की राजस्व हानि होना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–07 में होटलों एवं रेस्तरां के बार लायसेंस में कोई वृद्धि नहीं की जा रही ही।

14. वर्तमान में नये होटलों को लक्झरी टेक्स से छूट व्यवसायिक संचालन के 5 वर्षो के लिये उपलब्ध है। प्रदेश में अधिक से अधिक नये होटलों का निर्माण हो तथा अधिक संख्या में पर्यटक प्रदेश में आएं इसलिये यह प्रस्तावित है कि रुपये 1.00 करोड़ या उससे अधिक पूंजीनिवेश करने वाले होटलों को लक्झरी टेक्स से आठ वर्षों तक छूट की सुविधा दी जाये।

उपसंहार

हमारा लक्ष्य है विकसित मध्य प्रदेश, अग्रिम पंक्ति में मध्य प्रदेश, उच्च शिखर पर मध्य प्रदेश। हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य तक पहुंचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा।

मैं अपने बजट भाषण का अटल जी की निम्न पंक्तियों के साथ समापन करता हूँ:–

टूटे हुये तारों से, फूटे वासंती स्वर,
पत्थर की छाती में ऊग आया नव अंकुर,
झरे सब पीले पात,
कोयल की कुहुक रात,
प्राची में अरूणिमा की देख रेख पाता हूँ।
गीत नया गाता हूँ।

जय भारत–जय मध्य प्रदेश

अध्यक्ष महोदय,

अब मैं वर्ष 2006–07 के आय व्यय का उपस्थापन करता हूँ।

भाग–दो

अध्यक्ष महोदय,

वर्ष 2005–06 का बजट प्रस्तुत करते हुये मैंने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार व्दारा एक अप्रैल, 2005 से वैट लागू करने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। परंतु भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय विक्रय कर समाप्त करने के संबंध में कोई सुस्पष्ट नीति घोषित नहीं होने के कारण वैट प्रणाली लागू नहीं की गई थी। अब केन्द्रीय विक्रय कर समाप्त करने के विषय पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति में आम सहमति बन रही है, इसके अंतर्गत चरणबद्ध रुप से केन्द्रीय विक्रय कर की दरों में कमी की जायेगी। भारत सरकार से यह भी अपेक्षा रहेगी कि इस समिति की अनुशंसाओं के अनुसार केन्द्रीय विक्रय कर की दर में कमी के कारण राज्यों के राजस्व आय में होने वाली कमी की भरपाई करें।

2. अतः राज्य सरकार व्दारा निर्णय लिया गया है कि एक अप्रैल, 2006 से इस प्रदेश में भी वैट व्यवस्था लागू कर दी जाये ताकि पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था हो। इससे हमें आशा है कि प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

3. वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये बजट प्रस्तुत करते समय स्थानीय महत्व की जिन 10 वस्तुओं को राज्य सरकार ने वैट के अंतर्गत कर मुक्त रखने की घोषणा की थी उन वस्तुओं के अतिरिक्त स्थानीय महत्व की 3 वस्तुओं – यज्ञोपवीत या जनेउ, पतंग, सबई घास और उससे बनी हुई रस्सी को भी करमुक्त रखने का निर्णय लिया गया है।

4. मैंने गत वर्ष अपने बजट भाषण में कहा था कि वर्ष 2005–06 में खाद्यान्न पर वैट नहीं लगेगा। हमने अभी भी खाद्यान्न को वैट से मुक्त रखने का निर्णय लिया है

5. वैट प्रणाली के अंतर्गत कर की दरें भारत सरकार व्दारा गठित सशक्त समिति व्दारा निर्धारित वैट दरों के अनुरुप तय की जाएंगी।

6. वर्तमान में सिगार, चुरुट, सिगरेट और तम्बाकू की सिगारेल्लों पर प्रवेश कर की दर 8 प्रतिशत है। तम्बाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

इनके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये प्रवेश कर की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है, इससे प्रतिवर्ष रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है।

7. वर्तमान में तम्बाकूयुक्त पान मसाला और तम्बाकूयुक्त गुटका पर 20 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है।इन मालों पर प्रवेश कर की दर बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रतिवर्ष रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति संभावित है।

8. तम्बाकूयुक्त पान मसाला और तम्बाकूयुक्त गुटका को छोड़कर शेष पान मसाला और गुटका पर वर्तमान में 23 प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर एवं एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर इस प्रकार कुल करभार 24 प्रतिशत है। दिनांक 01–04–2006 से वैट लागू हो जाने पर इन मालों को 12.5 प्रतिशत की कर दर में रखा जाना प्रस्तावित है। अतः ऐसी स्थिति में मालों से प्राप्त होने वाली राजस्व क्षतिपूर्ति के लिये प्रवेश कर की दर एक प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत रखना प्रस्तावित है।

9. मध्यप्रदेश में सीमेंट निर्माण काफी मात्रा में होता है परंतु अधिकतर सीमेंट का राज्य से बाहर स्टाक ट्रान्सफर हो जाने से राज्य शासन को इनसे कोई वाणिज्यिक कर अथवा केन्द्रीय विक्रय कर प्राप्त नहीं होता है। यह प्रस्तावित है कि सीमेंट निर्माता इकाइयों के व्दारा स्टाक ट्रान्सफर किये जाने वाले सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे मालों पर (चूना पत्थर को छोड़कर) 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर विधान की धारा 4–ए के तहत लगाया जाये। यह भी प्रस्तावित है कि सीमेंट की अन्तर्राज्यीय बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्रीय विक्रय कर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाये। इससे प्रतिवर्ष रुपये 25 करोड़ की अतिरिक्त आय संभावित है।

10. वर्तमान में स्व–सहायता समूहों व्दारा निष्पादित किये जाने वाले बंधक विलेखों पर 4 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क तथा एक प्रतिशत की दर से जनपद पंचायत शुल्क देय है। प्रस्तावित है कि स्व–सहायता समूहों व्दारा रुपये 10 लाख तक के ऋणों को प्रतिभूत करने के लिये बैंकों के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाली प्रत्येक लिखत को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की जाये। इससे प्रतिवर्ष लगभग रुपये 4.00 करोड़ की हानि संभावित है।

11. वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति के सभी कृषकों तथा अन्य वर्गों के 10 हेक्टेयर तक भूमि धारित करने वाले कृषकों व्दारा कृषि प्रयोजन के लिये बैंकों के पक्ष में निष्पादित बंधक विलेखों तथा ऐसे बंधक विलेखों के भाग के रुप में आडमान विलेखों पर स्टाम्प शुल्क छूट प्रदान की गई है। यह प्रस्तावित है कि छूट का विस्तार सभी कृषकों व्दारा कृषिक प्रयोजन के लिये रुपये 10 लाख तक के ऋणों के विरुद्ध निष्पादित किये जाने वाले सभी प्रतिभूति संबंधी दस्तावेजों पर, बिना भूमि की किसी सीमा के,किया जाये तथा रुपये 10 लाख से अधिक राशि के ऋणों के मामलें में बंधक विलेखों पर प्रतिभूत रकम के एक प्रतिशत की दर से शुल्क अधिरोपित किया जाये। उक्त प्रावधान करने पर राज्य शासन को स्टाम्प शुल्क की कोई हानि होने की संभावना नहीं है।

12. राज्य में चालू समुत्थानों के हस्तांतरण–पत्रों पर सम्पति, जो कि दस्तावेज की विषय वस्तु है, के बाजार मूल्य पर 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है। इस प्रकार चालू समुत्थानों की चल सम्पति, मशीनरी एवं प्लान्ट पर भी अचल सम्पति की भांति 8 प्रतिशत की दर से शुल्क देय होता है। इस शुल्क के अत्यधिक भार के कारण कम्पनियों के संविलियन एवं अधिग्रहण में दस्तावेजों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। अतः यह प्रस्तावित है कि चालू समुत्थानों के अंतरण के मामलों में प्लान्ट एवं मशीनरी तथा अन्य चल सम्पति के मूल्य पर शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की जाये तथा किसी एक लिखत पर स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा रुपये 10 करोड़ निर्धारित की जाये। इससे शासन के राजस्व को क्षति नहीं होगी।

13. वर्तमान में राज्य के होटलों में मात्र 60 रुपये प्रतिदिन तक किराये के कमरे पर लक्झरी टेक्स से छूट है। 150 रुपये तक प्रतिदिन किराये के कमरे पर 5 प्रतिशत की दर से तथा इससे अधिक किराये पर 10 प्रतिशत की दर से कर देय है। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये यह प्रस्तावित है कि छूट की सीमा 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तक की जाये। 501 रुपये से 1000 रुपये तक प्रतिदिन किराये के कमरे पर 5 प्रतिशत की दर से तथा इससे अधिक किराये के कमरे पर 10 प्रतिशत की दर से लक्झरी टेक्स लिया जाये। इसके फलस्वरुप् वर्ष में रुपये 3.00 करोड़ की राजस्व हानि होना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–07 में होटलों एवं रेस्तरां के बार लायसेंस में कोई वृद्धि नहीं की जा रही ही।

14. वर्तमान में नये होटलों को लक्झरी टेक्स से छूट व्यवसायिक संचालन के 5 वर्षो के लिये उपलब्ध है। प्रदेश में अधिक से अधिक नये होटलों का निर्माण हो तथा अधिक संख्या में पर्यटक प्रदेश में आएं इसलिये यह प्रस्तावित है कि रुपये 1.00 करोड़ या उससे अधिक पूंजीनिवेश करने वाले होटलों को लक्झरी टेक्स से आठ वर्षों तक छूट की सुविधा दी जाये।

उपसंहार

हमारा लक्ष्य है विकसित मध्य प्रदेश, अग्रिम पंक्ति में मध्य प्रदेश, उच्च शिखर पर मध्य प्रदेश। हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य तक पहुंचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा।

मैं अपने बजट भाषण का अटल जी की निम्न पंक्तियों के साथ समापन करता हूँ:–

टूटे हुये तारों से, फूटे वासंती स्वर,
पत्थर की छाती में ऊग आया नव अंकुर,
झरे सब पीले पात,
कोयल की कुहुक रात,
प्राची में अरूणिमा की देख रेख पाता हूँ।
गीत नया गाता हूँ।

जय भारत–जय मध्य प्रदेश

अध्यक्ष महोदय,

अब मैं वर्ष 2006–07 के आय व्यय का उपस्थापन करता हूँ।